

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।

09.09.2023

आदेश

राज्य बनाम AJAY, धारा-एम० वी० एक्ट, गाजियाबाद के मामले में अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार कर लिया गया है तथा न्यायालय द्वारा आरोपित अर्थदण्ड अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमा कर दिया गया है। तदनुसार प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गाजियाबाद।